

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 397 /12-1

देहरादून,

दिनांक 01

अगस्त, 2023.

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- जनपद देहरादून विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाहिकलां तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.03 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-IRO-DDN/FRCM/01/2022/40, दिनांक 04.05.2023 तथा अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश, देहरादून का पत्रांक-789/1सी०(कैम्प) दिनांक-19.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव पर लगायी गयी 05 बिन्दु की आपत्तियों में से बिन्दु संख्या-01 व 02 की सूचना कार्यदायी संस्था द्वारा तथा बिन्दु सं०-03, 04 व 05 की सूचना इस कार्यालय से निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:-

क्र० सं०	आपत्तियों का विवरण	आपत्तियों का निराकरण
1	KML file and maps of the proposed road are required to be revised and uploaded.	के०एम०एल० फाइल और मैप पार्ट-1 में अपलोड कर दिये गये हैं।
2	KML file maps, CA scheme and CA site suitability certificate of revised CA area are required to be uploaded.	के०एम०एल० फाइल और सी०ए० मैप पार्ट-1 में अपलोड कर दिये गये हैं।
3	Revised NPV calculation sheet, land schedule, tree enumeration list etc required to be uploaded in part II (additional information documents.)	प्रस्ताव में पुनरीक्षित एन०पी०वी० की धनराशि पार्ट-02 में ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड की गयी है तथा हार्ड कॉपी संलग्न प्रेषित की जा रही है।
4	Revised tree details are mentioned in Part II para 4 but it also includes trees in non-forest land. State Govt shall upload details of trees in forest area only i.e. 230 trees.	प्रस्ताव में बाधित होने वाली 230 विभिन्न प्रजाति के वृक्षों की संशोधित सूची पार्ट-02 में यथा स्थान पर अपलोड कर दी गयी है।
5	Area correction is required to be done in para 1, 2, 3 & 4 in part II.	प्रस्ताव में पार्ट-2 के बिन्दु सं० 1, 2, 3 एवं 4 में संशोधित सूचना अपलोड कर दी गयी है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक:- 397 /12-1

तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश (देहरादून)



Office of the Executive Engineer, Temporary Division P.W.D. Rishikesh

E-mail: eedrkh@rediffmail.com

Phone/fax No.: 0135-2430660

दिनांक. 19 / 7 / 2023

पत्रांक..... / 1सी0(कैम्प)

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वनप्रभाग
देहरादून।

विषय:-

जनपद देहरादून विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाहीकला तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.03 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक 3675 / 12-1 देहरादून दिनांक 10.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव पर जो आपत्ति लगाई गयी थी। उक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर लिया गया है।

क्र0सं0	आपत्तियों का विवरण	आपत्तियों का निराकरण
1	KML file and maps of the proposed road are required to be revised and uploaded.	के0एम0एल0 फाइल और मैप पार्ट-1 में अपलोड कर दिये गये हैं।
2	KML file maps, CA scheme and CA site suitability certificate of revised CA area are required to be uploaded.	के0एम0एल0 फाइल और सी0ए0 मैप पार्ट-1 में अपलोड कर दिये गये हैं।
3	Revised NPV calculation sheet, land schedule, tree enumeration list etc required to be uploaded in part II (additional information documents.)	प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा दिया जाना है।
4	Revised tree details are mentioned in Part II para 4 but it also includes trees in non-forest land. State Govt shall upload details of trees in forest area only i.e. 230 trees.	प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा दिया जाना है।
5	Area correction is required to be done in para 1,2,3 & 4 in part II.	प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा दिया जाना है।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

दिनांक. / / 2023

पत्रांक..... 789..... / 1सी0(कैम्प)

प्रतिलिपि:-

1. सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश